न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

निगरानी संख्या :– 7/2020

1. धोलाराम पुत्र बन्नाराम जाति यादव निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
2. शिम्भूदयाल पुत्र हीरालाल जाति यादव निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
3. रामेश्वर प्रसाद यादव पुत्र भूरामल यादव जाति यादव निवासी ढाणी नीमडावाली बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
4. द्वारका प्रसाद शर्मा पुत्र देवी सहाय शर्मा जाति ब्रहमण निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
5. उत्तम कुमार शर्मा पुत्र मुक्तिलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा

गैर निगरानीकारगण्

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा दिनांक 02/12/2019 को पारित आदेश जो अपील संख्या 06/2019 उनवानी रामेश्वर प्रसाद वगैरह बनाम गोपाल वगैरह में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक 5.3.2024

पंचायती राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 में प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पारित आदेश 02/12/2019 बाबत अपील संख्या 6/2019 ब उनवान रामेश्वर प्रसाद बनाम गोपाल वगैरह के विरूद्व निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश हैं :–

यह है कि ग्राम पंचायत बिशनगढ तहसील शाहपुरा के द्वारा निगरानीकर्त्ता के हक में संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में दिनांक 20/10/2014 को नियमानुसार उत्तर दक्षिण 57 फिट, पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ 50 फिट एवं दक्षिण की तरफ 42 फिट कुल 290 वर्गगज का सीमायें उत्तर की तरफ गोपाल का मकान दक्षिण में हनुमान सहाय शर्मा का मकान पूर्व में आम रास्ता दक्षिण में द्वारका प्रसाद का मकान आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 28 दिनांक 20/10/2014 को जारी किया गया, जिसके विरूद्व प्रत्यार्थीगण् संख्या 3 से 5 के द्वारा बिना किसी हक एवं अधिकार के मान्य अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यार्थी संख्या 01 के समक्ष पांच साल पश्चात् अपील पेश की गयी, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यार्थी संख्या 1, 2 ने बिना किसी विधिक प्रकिया का पालन किये बिना सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना एवं बिना निगरानीकर्त्ता को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं बिना पक्षकार बनाये विधिक प्रावधानों एवं प्रकिया की पूर्ती किये अपने निर्णय 02/12/2019 के द्वारा ग्राम पंचायत का निर्णय संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर पेश की हैं :–

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

1. अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय 02/12/2019 पत्रावली पर उपस्थित रिकॉर्ड तथ्य एवं दस्तावेजात् विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।
2. गैर निगरानीकर्त्ता द्वारा पट्टा संख्या 28 दिनांक 20/10/2014 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 के विरूद्व प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा के यहां अर्सा करीब 5 वर्ष पश्चात् पेश की है जो विलम्ब को क्षमा किया जाना बिना कारण के उचित नहीं होता। दफा–5 प्रार्थना–पत्र बाद में पेश हुआ है। न्याय का यह सुस्थापति सिद्वान्त है कि अपील का निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का निर्णय पहले किया जाने चाहिए था, जबकि उक्त प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा 25/11/2019 को ईक्कीस व्यक्तियों के नाम संयुक्त रूप से एक नोटिस 02/12/2019 को जारी किया गया है। अपील संख्या 06 उनवानी रामेश्वर बनाम सरपंच वगैरह जो मिसल संख्या 29 के बाबत थी तथा प्रश्नगत मामले में सम्बन्धित अपील संख्या–5 जो पट्टा संख्या 27 से सम्बन्धित थी का संयुक्त रूप से एक निर्णय पारित किया गया है जो दोनों पृथक–पृथक पट्टे एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित थी जो दोनों अपीलों का एक निर्णय एवं 21 व्यक्तियों को जारी किया गया एक सम्मन विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है, जबकि पृथक–पृथक व्यक्तियों को अलग–अलग सम्मन नोटिस एवं पृथक–पृथक निर्णय पारित होने चाहिए थे । इसलिए प्रश्नगत निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्त्ता को सुनवायी एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं जवाब देही का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया है। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया है जो आक्षेपित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।
5. यह अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आक्षेपित निर्णय 02/12/2019 मिसल व पट्टे के अवलोकन से मिसल/पट्टे में पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर पाया गया होना अंकित कर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, किन्तु पैमाईस/पट्टा व मौके की स्थिति में कितना एवं कैसे किस प्रकार का अन्तर है। इसका आधार क्या है। यह अंकित नहीं किया। इसलिए आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने लायक है।
6. यह है कि मानय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य स्पष्ट होने के पश्चात् भी पट्टा संख्या 27 की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेजात् के निगरानीकर्त्ता संख्या 2 व गैर निगरानीकर्त्ता तरतीबी संख्या 6 के स्वामित्व में आ चुकी है। इनमें न तो पक्षकार बनाया एव ना ही उन्हें कोई सूचना एवं सुनवायी हेतु अपील में नोटिस जारी किये इसलिये प्रश्नगत निर्णय प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने लायक है।
7. अधिनस्थ न्यायालय को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे आदेश या निर्देश जिसके विरूद्व अपील की गयी है को परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति एवं पट्टे/मिसल पैमाईस में अन्तर पाये जाने पर ग्राम पंचायत के निर्णय को परिवर्तित किये जाने का निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इसलिए भी प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
8. यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 लगायत 5 किसी प्रकार से व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है एवं ना ही उनके द्वारा अपील में ऐसे कोई किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिनका कोई हित निहित हो तथा किसी प्रकार का उनके कोई अधिकार प्रभावित हो इसलिए भी निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।
9. यह है कि निगरानीकर्त्ता द्वारा ग्राम पंचायत बिशनगढ के समक्ष पट्टा बनाने का निवेदन करने पर आवेदन पत्र पेश करने पर प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05/7/2014 के द्वारा पत्रावली मौका कमेटी द्वारा सिफारित करने पर प्रस्ताव संख्या 2 से दिनांक 05/8/2014 को आपत्ति नोटिस जारी होने तथा कोई आपत्ति पेश नहीं होने गवाहन के बयान लिए

अति. जिला क

जाकर आगामी बैठक 20/8/2014 को पत्रावली प्रस्तुत होने के आदेश जारी हुए तथा ग्राम पंचायत बिशनगढ द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 के द्वारा विस्तृत पट्टा जारी करने का निर्णय पारित कर निगरानीकर्त्ता के द्वारा नियमानुसार राशि जमा कर पट्टा प्राप्त किया गया। उक्त पट्टा सभी विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों से जारी किया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं किया है।

10. यह है कि निगरानी आक्षेपित आदेश दिनांक 02/12/2019 के विरूद्व अन्दर मियाद प्रस्तुत है। उक्त निगरानी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः निगरानी मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 06 दिनांक 19/8/2019 बाबत पट्टा संख्या 28 में पारित निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें अन्यथा में मिसल/पट्टे में पैमाईस व मौके की स्थिति में यदि कोई अन्तर पाया जावे तो मौके एवं कब्जे की स्थिति के अनुसार पट्टा जारी करने के आदेश प्रदान करें।

11. निगरानीकर्त्ता द्वारा जरिये वकील निगरानी पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी । रिपोर्ट समायत पायी जाने पर गैर निगरानीकर्त्ताओं को नियमानुसार तल्बी हेत नोटिस जारी किये बाद सूचना एवं तामील होने पर गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 की ओर से श्री सुनिल शुक्ला एडवोकेट उपस्थित आये तथा उनकी ओर स्थगन प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

12. बहस सुनी गयी। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत बिशनगढ द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में निगरानीकर्त्ता को पट्टा संख्या 28 दिनांक 20/10/2014 सरपंच ग्रा.पं. बिशनगढ द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत आवासीय भूमि का पट्टा 290 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। पट्टाशुदा भूमि के उत्तर में गोपाल यादव का मकान दक्षिण में हनुमान सहाय शर्मा का मकान पूर्व में आम रास्ता पश्चिम में द्वारका प्रसाद का मकान दर्शित होना अंकित किया हुआ है, जिसके विरूद्व गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 द्वारा बिना हक एवं अधिकार के अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा जिला जयपुर के यहा अपील संख्या 06 दिनांक 19/8/2019 को ब उनवान रामेश्वर बनाम सरपंच वगैरह पेश की गयी। अपील संख्या 6 दिनांक 19/8/2019 तथा ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली मिसल संख्या 29 का अवलोकन कर मिसल/पट्टे पैमाईस एवं मौके की स्थिति में अन्तर पाये जाने पर ग्राम पंचायत का संकल्प संख्या 02 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में 20/10/2014 को अधिनस्थ न्यायालय स्थापना एवं स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा दिनांक 02/12/2019 को खारिज किया गया जो उक्त पारित किया गया निर्णय पत्रावली पर उपस्थित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज एव तथ्यों के विपरीत होने से पृथम दृष्टया खारिज योग्य है। क्योंकि संयुक्त रूप से अपील संख्या 6 एवं अपील संख्या 5 जारी पट्टा संख्या 27 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में दिनांक 20/10/2014 के विरूद्व पांच वर्ष पश्चात् उक्त अपील पेश की गयी है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर गौर नहीं कर उक्त निर्णय दिनांक 02/12/2019 को पारित कर दिया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का अवसर एवं जवाब देही का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा ना ही अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् कोई नोटिस जारी किया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। वकील निगरानीकर्त्ता का यह भी अभिकथन है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 किसी भी प्रकार से पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 61 में वर्णित व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है ना ही अपील में गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 द्वारा किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें उनका कोई हित निहित हो तथा किसी प्रकार से कोई अधिकार प्रभावित हो रहे हों। निगरानीकर्त्ता द्वारा ग्राम पंचायत बिशनगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कर पट्टा जारी करने की सिफारिस करने पर आपत्ति नोटिस जारी करने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नियमानुसार राशि जमा करायी जाकर पट्टा प्राप्त किया है। उक्त पट्टा नियमानुसार सभी विधिक प्रावधानों एवं प्रकिया के बाद निगरानीकर्त्ता के पक्ष में जारी हुआ है।

अतः निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 02/12/2019 बाबत पट्टा संख्या 28 को निरस्त फरमावें तथा मिसल/पट्टे की पैमाईस एवं मौके की स्थिति में अन्तर पाया जावे तो मौका एवं कब्जे की स्थिति के अनुसार पट्टा जारी करने के आदेया प्रदान करें।

13. वकील गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 के वकील द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 को पट्टे के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होने एवं दस्तावेजात् प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर सन्तुष्ट होने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी कर निर्णय पारित किया है। यदि मियाद के बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है तो प्रारम्भिक स्टेज पर ही अपील खारिज हो जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी का अवसर प्रदान कर ही उक्त निर्णय पारित किया है। यदि निगरानीकर्त्ता अपने आपको व्यथित व्यक्ति समझते थे तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था । निगरानीकर्त्ता ग्राम बिशनगढ के व्यक्ति है। उन्हें इस प्रकरण से सम्बन्धित शुरू से ही जानकारी थी। निगरानीकर्त्ता एक अतिक्रमणकारी है। जनहित में अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अतिक्रमणकारी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन है। निगरानीकर्त्ता द्वारा आबादी भूमि में स्थित मकान का नियमितीकरण करने हेतु आवेदन किया था। उक्त आवेदन पर आवेदन करने की कोई तारीख महिना सन् अंकित नहीं है। उक्त आवेदन पत्र में अधूरे तथ्य अंकित कर पैतृक मकान का पट्टा चाहा गया है, जिस जगह पर निगरानीकर्त्ता को पट्टा दिया गया है। उस जगह पर पट्टा निगरानीकर्त्ता का कोई पैतृक मकान स्थित नहीं है ना ही उनके पूर्वज कभी उक्त जगह पर रहे है। इस प्रकार निगरानीकर्त्ता का आवेदन पत्र अधूरा एवं अपूर्ण है। निगरानीकर्त्ता द्वारा सरपंच ग्रा.पं. बिशनगढ से मिलीभगत करके सार्वजनिक सम्पत्ति को हडप करन की नियत से बिना हक एवं अधिकार से उक्त कार्यवाही की है। इसलिए निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बिना विधिक प्रकिया की पालना किये गुप–चुप तरीके से गलत एवं मिथ्या दस्तावेजात् की रचना कर निगरानीकर्त्ता ने पट्टा प्राप्त किया है जो निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज फरमावें।

14. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य सबूतें का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने तथा वकील उभय पक्षों की बहस सुनी जाने के उपरान्त यह पाया कि ग्राम पंचायत बिशनगढ पं.सं. शाहपुरा द्वारा निगरानीकर्त्ता के पक्ष में पट्टा संख्या 28 दिनांक 20/10/2014 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाना पाया जाता है। निगरानीकर्त्ता को उक्त पट्टा 290 वर्गगज ग्रा.पं. बिशनगढ द्वारा उनके पक्ष में जारी किया है, जिसकी हद हदूद उत्तर में गोपाल यादव का मकान दक्षिण हनुमान सहाय शर्मा का मकान पूर्व में आम रास्ता तथा पश्चिम में द्वारका प्रसाद शर्मा का मकान दर्शित किया है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 द्वारा बिना हक एवं अधिकार के प्रश्नगत पट्टाशुदा भूमि बाबत किसी प्रकार का हित निहित नहीं होने के उपरान्त भी प्रशासन स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा के समक्ष निगरानीकर्त्ता के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर अपील संख्या 6 दिनांक 19/8/2019 दर्ज कर पट्टा पत्रावली मिसल संख्या 29 का अवलोकन कर मिसल/पट्टे में पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर पाये जाने पर अपने निर्णय 02/12/2019 से ग्राम पंचायत का संकल्प संख्या 02 दिनांक 20/8/2014 अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज किया गया। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्त्ता को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये एवं बिना जवाब देही का अवसर प्रदान किये दिनांक 02/12/2019 को आदेश पारित कर दिये जबकि निगरानीकर्त्ता को अपील पेश होने के

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (जयपुर)

पश्चात् नोटिस जारी करने चाहिए थे। निगरानीकर्त्ता को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रशासन स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय 02/12/2019 में वर्णित किया है कि मिसल/पट्टा पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर है। पट्टा पैमाईस व मौका स्थिति में अन्तर पाये जाने पर ग्राम पंचायत बिशनगढ का संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा इस अन्तर को समाप्त करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया आदेश/निर्णय को परिवर्तित किये जाने का आदेश/निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । अधिनस्थ न्यायालय ऐसी कार्यवाही के आदेश ना देकर दिनांक 02/2/2019 को मिसल/पट्टा पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर होना बताया जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज के आदेश पारित कर दिये जो न्यायोचित एवं विधि संगत नहीं है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को जितनी भूमि की माप मौका स्थिति अनुसार मौके पर स्थित है उतनी भूमि का ग्राम पंचायत को संशोधित पट्टा जारी करने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये निगरानीकर्त्ता के हक में पूर्व में जारी पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही की है वह विधि सम्मत नहीं है एवं निगरानीकर्त्ता के विरूद्व हुयी कार्यवाही विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के विपरित हुयी है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश 02/12/2019 निरस्त किये जाने योग्य है तथा गिनरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत उचित प्रतीत होती है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 5 दिनांक 19/8/2019 बाबत पट्टा संख्या 28 में पारित निर्णय 02/12/2019 को अपास्त किया जाकर ग्राम पंचायत बिशनगढ पंचायत समिति शाहपुरा को आदेश दिये जाते है कि निगरानीकर्त्ता की मौके एवं कब्जे की स्थिति अनुसार जितनी भूमि मौके पर शेष बची हुयी है उसके माप अनुसार संशोधित पट्टा नियमानुसार जारी करें। तदनुसार पालना हों।
16. यह निर्णय आज दिनांक 5-3-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)